जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

नीलामी स्थल : नीलामी दिनांक :

(1)

नीलामी की शर्ते एवं नियम

1. नीलामी में रखे सामान की नीलामी एक नीलामी कमेटी द्वारा प्रतिपादित की जावेगी जिसे किसी भी बोली को स्वीकार/ अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

2. उक्त सामान की नीलामी इकट्ठे ढेर या अलग अलग ढेरों में जैसा कि कमेटी नीलामी के समय उचित समझती है, की जावेगी । किसी भी ढेर (लॉट) या ढेरों (लॉट्स) की नीलामी कमेटी द्वारा बिना किसी कोई कारण बताये किसी भी समय अगले कार्य दिवस तक के लिए स्थगित की जा सकती है ।

3. इच्छुक बोली लगाने वाले व्यक्ति, संबंधित अधिकारी से लिखित / मौखिक आज्ञा प्राप्त कर सामान का निरीक्षण नीलामी के समय या पहिले कर सकते है।

4. उक्त सामान जैसे है, जहाँ है व जिस हालत में है के आधार पर बेचा जावेगा तथा निगम द्वारा किसी प्रकार का टैस्ट प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा । बोली लगाने वाले को चाहिये कि वह अपने आपको सामान की मात्रा, गिनती व हालात इत्यादि से नीलामी में भाग लेने से पूर्व अच्छी तरह से अवगत कर लें।

5. प्रत्येक बोली लगाने वाले को सामान के अनुमानित मूल्य के अनुसार एक लाख रुपये तक पाँच हजार , एक लाख से पाँच लाख तक दस हजार रुपये , पाँच से दस लाख तक पच्चीस हजार रुपये , व दस लाख से अधिक पचास हजार रुपये नीलामी शुरू होने से पहले धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होंगे । तभी वह बोली लगाने का अधिकारी होगा अन्यथा नही । उक्त राशि असफल बोली लगाने वालों को नीलामी समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जावेगी और सफल बोली लगाने वालो की उक्त राशि अनुमानित मात्रा की कुल राशि के 25 प्रतिशत हिस्से (जो बोली समाप्त होने के पश्चात सफल खरीददार को तुरन्त जमा करानी होगी) . में समायोजित कर ली जावेगी । अगर सफल बोली लगाने वाला 25 + 10 प्रतिशत हिस्सा तुरन्त जमा नहीं कराता है तो रुपये जो कि धरोहर राशि के रूप में जमा कराये गये है, जब्त कर लिये जावेगें और कमेटी चाहे तो ऐसे सामान को उसी नीलामी में दुबारा बेच सकती है अथवा आगे किसी भी नीलामी में बेच सकने के लिये, जैसा सुलभ हो , निर्णय ले सकती हैं ।

6 (अ) यदि किसी लॉट की कुल सफल राशि (सेल्स टैक्स को छोड़कर) एक लाख रुपये तक की होगी तो सर्वोच्च बोली लगाने वाले को शेष राशि व सेल्स टैक्स की पूर्ण राशि जो उस समय लागू होगी, नीलामी की तारीख को छोड़कर 6 (छ) कार्य दिवस में जमा करानी होगी । यदि सर्वोच्च बोली लगाने वाला उक्त शेष राशि समय पर जमा नहीं करता है तथा समय वृद्धि चाहता है तो सक्षम अधिकारी सर्वोच्च बोली की बकाया राशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अग्रिम जमा कराने पर 6 कार्य दिवस तक की समय वृद्धि कर सकते हैं ।

(ब) यदि किसी लॉट की कुल सफल राशि एक लाख रुपये से अधिक परन्तु पाँच लाख रुपये तक की होगी तो सफल बोली लगाने वाले को 25 हजार रुपये + एक लाख रुपये से ऊपर की बकाया रकम का 10 प्रतिशत तुरन्त एवं शेष राशि नीलामी की तारीख को छोड़कर 12 कार्य दिवस में मय बिक्री कर के जमा करवानी होगी । समय वृद्धि चाहने पर उपरोक्त छः (अ) के अनुसार कार्यवाही होगी ।

(स) यदि किसी लॉट की कुल सफल राशि पाँच लाख रुपये से अधिक परन्तु दस लाख रुपये तक की होगी तो 25 हजार रुपये + एक लाख रुपये से ऊपर की बकाया रकम का 10 प्रतिशत तुरन्त एवं शेष राशि दो बराबर किश्तों में मय सेल्स टैक्स के जमा करानी होगी । पहली किश्त 12 कार्य दिवस में और दूसरी किश्त 18 कार्य दिवस में नीलामी की तारीख को छोड़कर जमा करानी होगी तथा समय वृद्धि चाहने पर छ(अ) के अनुसार कार्यवाही होगी ।

(द) यदि किसी लॉट की कुल सफल राशि दस लाख रुपये से अधिक होगी तो 25 हजार रुपये + एक लाख रुपये से ऊपर की बकाया रकम का 10 प्रतिशत तुरन्त एवं शेष राशि तीन बराबर किश्तों में मय सेल्स टैक्स के जमा करानी होगी । पहली किश्त 12 कार्य दिवस में, दूसरी किश्त 18 कार्य दिवस में और तीसरी किश्त 24 कार्य दिवस में नीलामी की तारीख को छोड़कर जमा करानी होगी तथा समय वृद्धि चाहने पर छ(अ) के अनुसार कार्यवाही होगी ।

यदि कोई सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति किसी भी लॉट की पूर्ण राशि अथवा किश्त अथवा सेल्स टैक्स की राशि निर्धारित अवधि अथवा इन शर्तों के अन्तर्गत बढ़ाई गई अवधि में जमा कराने में असफल रहता है तो सेल्स टैक्स

को छोडकर उसकी निगम के पास जमा अन्य समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी तथा सामान पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा ।

8. यदि विक्रीकर विभाग द्वारा विक्री कर की वसूली में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो संबंधित राशि सफल बोली लगाने वाले से वसूल की जावेगी । सफल बोली लगाने वाले को विक्री कर बकाया राशि बाद में किसी भी समय निकलने पर जमा कराना होगी । सैल्स टैक्स की राशि एक बार राज्य कोष में जमा कराने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में लौटाई नहीं जावेगी ।

9. यदि कोई व्यापारी माल सैल्स टैक्स की रियायत दर (कन्सेशनल रेट) पर खरीदना चाहता है तो बकाया राशि जमा कराने के कम से कम तीन कार्य दिवस पहले पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति सहित उप मुख्य अभियंता (एम.एन.) को आवेदन करना होगा । उप मुख्य अभियंता (एम.एन.) द्वारा पूर्ण दस्तावेजों की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वीकृति दी जावेगी । इस आधार पर भुगतान व डिलीवरी पिरियड में बढ़ोतरी नहीं की जावेगी ।

10. (अ) सफल बोली लगाने वालों से बोली की पूर्ण राशि मय सैल्स टैक्स आदि प्राप्त होने पर ही सामान उठाने के लिए आदेश (ऑक्शन सेल कम डिलीवरी ऑर्डर) संबंधित —————————— सहायक भंडार नियंत्रक ———— द्वारा जारी किया जावेगा ।

(ब) सामान की डिलीवरी सफल खरीददार अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को एक डिलीवरी कमेटी को जो कि उप मुख्य अभियंता (एम.एन.) द्वारा नियुक्त की जावेगी , के द्वारा की जावेगी ।

11. (अ) सफल बोली लगाने वाले को सामान की डिलीवरी दिवस के बाद (नीलामी की तारीख को छोड़कर) निम्न वर्णित अवधि में उठानी होगी :—

(क) सफल राशि 6 (अ) के संदर्भ में जमा कराने पर 18 कार्य दिवस में ।

(ख) सफल राशि 6 (ब) के संदर्भ में जमा कराने पर 24 कार्य दिवस में ।

(ग) सफल राशि 6 (स) के संदर्भ में जमा कराने पर पहली किश्त के अनुरूप 24 कार्य दिवस में तथा दूसरी किश्त के अनुरूप 30 कार्य दिवस में ।

(ब) प्रथम तोल व गिनने की जिम्मेदारी विद्युत निगम की होगी । सामान को खरीददार की जिम्मेदारी एवं खर्च पर ही दुबारा तोला या गिना जा सकेगा।

13. सारा कुछ सामान देने से पहले बिना कोई कारण बताये बेचने से वापिस लिया जा सकता है, चाहे विक्रेता मुख्य अभियंता(एम.एम.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर नें कोई भी स्वीकृति विज्ञापन द्वारा या लिखित रूप में सफल खरीददारों को दे दी है । इस प्रकार वापिस लिये गये सामान की राशि व अनुमानित सैल्स टैक्स की राशि लौटा दी जावेगी, परन्तु अन्य किसी प्रकार का मुआवजा अथवा ब्याज नहीं दिया जायेगा । सामान की यह वापसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के निर्देश से या संकटकालीन समय में या निगम के अपने अथवा किसी अन्य विद्युत निगम द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अथवा जनहित में ही की जायेगी ।

14. जब तक विक्रय की सारी शर्तों व नियमों का पालन नहीं हो जाता उक्त सामान निगम की सम्पति रहेगी । सिर्फ खरीद की रकम प्राप्त होने से ही विक्रय पूर्ण नहीं होगा । पूर्ण सामान की डिलीवरी के पश्चात् निगम अहाते के बाहर उठा ले जाने पर ही वह खरीददार की सम्पति होगी ।

15. सामान को उठाते वक्त खरीददार या उसके प्रतिनिधि / मजदूरों द्वारा मण्डल को हुई किसी भी प्रकार क्षति की पूर्ति खरीददार को करनी होगी । यदि कोई खरीददार का व्यक्ति निगम / स्टोर के अहाते में चोरी करता पकडा गया तो उसकी जिम्मेदारी खरीददार की होगी और संबंधित स्थानीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा ।

16. अगर सामान अनुमानित मात्रा से कम होगा तो विद्युत निगम उसके हिसाब से बकाया रकम और उससे संबंधित सैल्स टैक्स की राशि खरीददार को लौटा देगा, परन्तु किसी तरह का ब्याज या मुआवजा उस रकम पर जो लौटाई जायेगी, नहीं दिया जावेगा ।

17. निगम में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को किसी प्रकार की भेंट या अन्य कोई लाभ खरीददार या उसके साझेदार या उसकी ओर से किसी

(घ) सफल राशि 6 (द) के संदर्भ में जमा कराने पर पहली किस्त के अनुरूप 24 कार्य दिवस में, दूसरी किस्त के अनुरूप 30 कार्य दिवस में तथा तीसरी किस्त के अनुरूप 36 कार्य दिवस में ।

नीलामी के दिन जमा कराई गई राशि के अनुरूप सामान की डिलीवरी अन्तिम किस्त के साथ दी जावेगी । रविवार तथा अन्य सरकारी / निगम की छुट्टी में डिलीवरी नहीं होगी । डिलीवरी कार्यालय के समय में ही दी जावेगी ।

11. (ङ) अगर सफल बोली लगाने वाले को सामान उपरोक्त अवधि में उठाने में कोई समस्या हो तो सम्बन्धित भण्डार प्रभारी इस अवधि को विशेष मामले के तौर पर 12 कार्य दिवस तक अग्रिम भूमि कर (किराया) 5/12 प्रतिशत प्रथम 10 हजार तक व 1/6 प्रतिशत शेष राशि पर जो बिना उठाये सामान की अनुमानित मूल्य की है, प्रति कार्य दिवस की दर से सफल बोली लगाने वाले द्वारा जमा कराने पर बढा सकते है । अगर इस अवधि में भी वह सामान नहीं उठा पाता है तो उस बोली लगाने वाले का उक्त सामान पर कोई अधिकार नहीं रहेगा तथा निगम को इस सामान को किसी भी प्रकार बेचने का अधिकार होगा जिसकी जिम्मेदारी सफल खरीददार की होगी । इस प्रकार निगम को हुई क्षतिपूर्ति मय सामान के उसके द्वारा जमा करायी गई राशि को जब्त करके पूर्ण की जावेगी । सेल्स टैक्स की राशि एक बार राज्य कोष में जमा कराने के पश्चात लौटाई नहीं जावेगी ।

(च) सामान उठाने के लिये मजदूर, औजार, ले जाने के साधन, ट्रक, बैलगाडी, टैली इत्यादि का इंतजाम खरीददार को स्वयं के खर्च पर करना होगा । सामान को उठाकर ले जाने के बाद किसी भी प्रकार के क्लेम पर विचार नहीं किया जावेगा । खरीददार को निगम अहाते के अन्दर सामान बेचने की इजाजत नहीं होगी ।

12. (अ) सामान की डिलीवरी सफल खरीददार को एक डिलीवरी कमेटी द्वारा जैसे जहाँ जिस हालत मे है के आधार पर दी जावेगी । डिलीवरी खरीददार व मुख्य अभियंता (एम.एम.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0. जयपुर द्वारा नियुक्त डिलीवरी कमेटी की संयुक्त उपस्थिति में होगी ।

(ब) प्रथम तौल व गिनने की जिम्मेदारी विद्युत निगम की होगी । सामान को खरीददार की जिम्मेदारी एवं खर्च पर ही दुबारा तोला या गिना जा सकेगा।

13. सारा कुछ सामान देने से पहले बिना कोई कारण बताये बेचने से वापिस लिया जा सकता है, चाहे विक्रेता मुख्य अभियंता(एम.एम.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर ने कोई भी स्वीकृति विज्ञापन द्वारा या लिखित रूप में सफल खरीददारों को दे दी है । इस प्रकार वापिस लिये गये सामान की राशि व अनुमानित सैल्स टैक्स की राशि लौटा दी जावेगी, परन्तु अन्य किसी प्रकार का मुआवजा अथवा ब्याज नहीं दिया जायेगा । सामान की यह वापसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के निर्देश से या संकटकालीन समय में या निगम के अपने अथवा किसी अन्य विद्युत निगम द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अथवा जनहित में ही की जायेगी ।

14. जब तक विक्रय की सारी शर्तों व नियमों का पालन नहीं हो जाता उक्त सामान निगम की सम्पति रहेगी । सिर्फ खरीद की रकम प्राप्त होने से ही विक्रय पूर्ण नहीं होगा । पूर्ण सामान की डिलीवरी के पश्चात् निगम आहते के बाहर उठा ले जाने पर ही वह खरीददार की सम्पति होगी ।

15. सामान को उठाते वक्त खरीददार या उसके प्रतिनिधि / मजदूरों द्वारा मण्डल को हुई किसी भी प्रकार क्षति की पूर्ति खरीददार को करनी होगी । यदि कोई खरीददार का व्यक्ति निगम / स्टोर के अहाते में चोरी करता पकडा गया तो उसकी जिम्मेदारी खरीददार की होगी और संबंधित स्थानीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा ।

16. अगर सामान अनुमानित मात्रा से कम होगा तो विद्युत निगम उसके हिसाब से बकाया रकम और उससे संबंधित सैल्स टैक्स की राशि खरीददार को लौटा देगा, परन्तु किसी तरह का ब्याज या मुआवजा उस रकम पर जो लौटाई जायेगी, नहीं दिया जावेगा ।

17. निगम में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को किसी प्रकार की भेंट या अन्य कोई लाभ खरीददार या उसके साझेदार या उसकी ओर से किसी

व्यक्ति ने (चाहे खरीददार को मालूम हो या न हो) उस सौदे को पूरा करने के लिए या अन्य कोई क्रिमिनल कार्य के लिए दिया हो या वायदा किया हो तो खरीददार का यह सौदा व निगम के साथ हुए अन्य सौदे भी रद्द कर दिये जायेंगें तथा इस प्रकार निगम को हुई किसी प्रकार की क्षति की पूर्ति खरीददार को करनी होगी ।

18. नीलामी कमेटी बोली लगाने वाले की किसी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रखती है । इस विषय मे कोई शिकायत नहीं सुनी जावेगी । नीलामी कमेटी व बोली लगाने वालों के बीच नीलामी की शर्तों के संबंध में हुए किसी भी मतभेद पर नीलामी कमेटी अपना निर्णय नीलामी प्रारम्भ होने से पहले अथवा नीलामी के दौरान दे सकती है, जो अन्तिम होगा।

19. नीलामी की शर्तों व नियमों के बारे में स्पष्टता चाहने हेतु पत्र व्यवहार मुख्य अभियंता (एम.एन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर से किया जा सकता है ।

20. भण्डार नियंत्रक नीलामी की शर्तों व नियमों व नीलामी की दिनांक के बारे में संशोधन / परिवर्तन नीलामी की दिनांक से पूर्व अथवा नीलामी शुरू होने से पूर्व सक्षम कमेटी से स्वीकृति प्राप्त कर कर सकते है तथा कोई बोली लगाने वाला व्यक्ति उनके निर्णय को चुनौती नहीं दे सकेगा ।

21. नीलामी की शर्तों व नियमों के समझने में या ऊपर वर्णित सौदे में किसी भी प्रकार के उत्पन्न मतभेद का मुख्य अभियंता (एम.एम) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर को भेजा जाना चाहिए तथा उनका निर्णय अन्तिम माना जायेगा ।

22. किसी भी प्रकार का मतभेद जयपुर में हुआ समझा जायेगा तथा जयपुर के न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को इस मतभेद को सुलझाने का अधिकार नहीं होगा ।

23. नीलामी शुरू होने के पश्चात जो व्यापारी टोकन लेंगे वे केवल शेष रहे माल की नीलामी में ही भाग लेने के हकदार होंगें ।

24. नीलामी में रखे सामान की जब तक बिड्स स्वीकार नहीं की जाती है उनकी नीलामी के लिए बिड्स नीलामी की समाप्ति की औपचारिक घोषणा होने तक ली जा सकती है।

25. अन्य करों के अतिरिक्त आयकर अधिनियम 1961 के तहत टीसीएस, सरचार्ज तथा सैस नियमानुसार देय होगा।

26. बेचे गये माल की कुल राशि नियम 5 एवं 6 (अ), (ब), (स) एवं (द) के अनुसार जमा न कराने की स्थिति में नियम –7 के अनुसार कार्यवाही की हुई समझी जावेगी। इसी प्रकार नियम 11 (अ) एवं (ब) के अनुसार सामान न उठाने की स्थिति में नियम 11 (ब) के अनुसार सामान पर बोली लगाने वाले का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तथापि यदि निगम ने उक्त सामान का किसी दूसरी तरह डिसपोजल नहीं किया है एवं सफल बोली लगाने वाला पैसाजमा कराने एवं / या सामान उठाने के लिए अतिरिक्त समय वृद्धि चाहता है तो मुख्य अभियन्ता (एमएम) नियम 6 (अ) एवं 11 (ब) में वर्णित दरों पर समय वृद्धि कर सकते हैं बशर्ते समय वृद्धि के लिये इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाये।

27. राज्य सरकार द्वारा लागू वेट का नियम लागू होगा।

मुख्य अभियन्ता (एमएम)
जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
जयपुर।

(अ) नीलामी करने वाली कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर मय पद के

मुख्य अभियन्ता / ~~अधीक्षण अभियन्ता~~ (MM)

~~मुख्य अभियन्ता (एमएम) / अधीक्षण अभियन्ता~~

मुख्य लेखाधिकारी

लेखाधिकारी

सहायक भण्डार नियंत्रक